

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

कार्यसूची

पंचम् सत्र

शुक्रवार, 23 फरवरी, 2024/4 फाल्गुन, 1945(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित :

- | | | |
|-----------------|---|--|
| (i) स्थगित | } | पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे। |
| (ii) दिन के लिए | | |

(2) अतारांकित :

- | | | |
|-----------------|---|---|
| (i) स्थगित | } | पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे। |
| (ii) दिन के लिए | | |

2. कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे:

(1) श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

- (i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं), विशेष कार्यकारी अधिकारी (अर्थोपाय), ग्रुप-ए (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्या: कार्मिक (स.प्र.से.-1)-ए (3)-1/2023, दिनांक 09.11.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.11.2023 को प्रकाशित;
- (ii) हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 की धारा 8 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्या: वित्त-जी-ए (3)1/2018-पार्ट-I, दिनांक 14.02.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.02.2024 को प्रकाशित; और

- (iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का गठन जोकि अधिसूचना संख्या: कार्मिक (एपी-बी) ए(1)-1/2023, दिनांक 30.09.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.10.2023 को प्रकाशित।
- (2) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, सहायक निदेशक (अभिलेखागार), ग्रुप-ए, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्या:एल0सी0डी0-बी0(1)-2/2020, दिनांक 08.02.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 09.02.2024 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।
- (3) श्री अनिरुद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग, वरिष्ठ सहायक (प्रगति), ग्रुप-बी, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्या: आर डी-ए (3)-2/2023, जोकि दिनांक 15.02.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.02.2024 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन:

- (1) श्री सुधीर शर्मा, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2023-24), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
- (i) समिति का द्वितीय मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत ट्रामा केयर सेंटर की संवीक्षा पर आधारित तथा स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित है;
- (ii) समिति का तृतीय मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की संवीक्षा पर आधारित तथा योजना विभाग से सम्बन्धित है; और
- (iii) समिति का चतुर्थ कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 21वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (2021-22) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर विभाग द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बन्धित है।

(2) श्री राजेन्द्र राणा, सभापति, जन प्रशासन समिति, (वर्ष 2023-24), समिति का तृतीय कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्या: 4 के अन्तर्गत पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान मांगों पर आधारित 17वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (2020-21) पर विभाग द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित, की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

4. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन:

कार्य-सलाहकार समिति का पंचम् प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया जाएगा तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया जाएगा।

5. गैर-सरकारी सदस्य कार्य:

"संकल्प"

(गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची संलग्न है)

शिमला-171004
दिनांक: 22 फरवरी, 2024

(यशपाल शर्मा)
सचिव।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

'संकल्प'

पंचम सत्र

शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2024 को चर्चा हेतु लिए जाने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची :

क्रम सं०	सदस्य का नाम	उद्धरण
1	श्री भवानी सिंह पठानिया	"This House resolves to formulate policy to improve infrastructure for mental health patients in the State."
2	श्री जीत राम कटवाल	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि भारतीय प्रजातन्त्र व कल्याणकारी राज्य में चिन्हित संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा विषमताओं के निवारण बारे यह सदन नीति बनाने पर विचार करे।"
3	श्री इन्द्र दत्त लखनपाल	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि आबादी देह ज़मीन काबिज लोगों के नाम किए जाने वाले क्रानून मे संशोधन करने बारे यह सदन नीति बनाने पर विचार करे।"
दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 को प्रस्तुत संकल्प का माननीय शिक्षा मन्त्री जी उत्तर देंगे		
	श्री चैतन्य शर्मा	"This House resolves that the State Govt. should formulate a policy to appreciate the importance of Hosting and Promote Foreign Universities to set up partnerships and research labs with existing Institutions."

सचिव,
हि० प्र० विधान सभा।